मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं० 137/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.11.2015	यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी किशोर पुत्र लल्लू जाति माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 27.11.2015 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
27.11.15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। ~~श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर ... अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं ... स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9.12.15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
9.12.15	वकील उभयपक्ष उप० हैं। अप्रार्थी नं० 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः अप्रार्थी नं० 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने पर सहमत हैं। अतः उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक भूमि ख० नं० 777, 779, 782 ग्राम विदरखा की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	Tarun Sh (हस्ताक्षर) 9.12.15